न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3665–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–9–15 पारित द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार, बुरहानपुर प्रकरण कमांक 06/अ–70/13–14.

केशव पिता संपत
निवासी ग्राम खडकोद
तहसील व जिला बुरहानपुर .....आवेदक

विरूद्ध

1– दिनकर पिता स्व. किसन
2– ज्ञानेश्वर पिता स्व. किसन
3– वंदना पिता स्व. किसन पति कन्हैया
निवासीगण ग्राम गुलई
तहसील खकनार जिला बुरहानपुर
4– संगीताबाई पुत्री स्व. किसन पति प्रभाकर
निवासी ग्राम अंधारवाडी
तहसील रावेर जिला जलगांव, महाराष्ट्र
5– नादराबाई पति भास्कर इंगले पिता स्व. बाबूराव
निवासी ग्राम उचंदा
तहसील मुक्ताईनगर जिला जलगांव
6– दीपक पिता भास्कर
7– गणेश पिता भास्कर
8– सुनिता बाई पिता भास्कर
क. 6 से 8 निवासीगण ग्राम थैलाभोकरी
तालुका रावेर जिला जलगांव .....अनावेदकगण

श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, आवेदक
श्री हितेन्द्र चन्देरिया, अभिषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/1/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अतिरिक्त तहसीलदार, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक ~~30~~–9–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार, बुरहानपुर के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम खडकोद तहसील व जिला बुरहानपुर स्थित भूमि सर्वे कमांक 199/3 रकबा 0.81 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 एवं सर्वे 455/3 रकबा 0.40 अनावेदक कमांक 5 लगायत 8 की शामिल शरीक की भूमि है, जिस पर आवेदक द्वारा अनधिकृत कब्जा किया गया है । अनावेदकगण प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कर कब्जा चाहते हैं । अतः सर्वे कमांक 199/3 रकबा 0.81 हेक्टेयर का कब्जा अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 एवं सर्वे 455/3 रकबा 0.40 का कब्जा अनावेदक कमांक 5 लगायत 8 को दिलाये जाये । अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 06/अ–70/13–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा दिनांक 30–9–14 को व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे तहसील न्यायालय ने दिनांक 17–3–15 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया । दिनांक 13–5–15 को आवेदक द्वारा एक और व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 30–9–15 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अतिरिक्त तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने तहसील न्यायालय के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसे निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रकिया विहीन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि का सीमांकन एवं बटवारा चाहा गया है, जो संहिता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से इसी आधार पर निरस्ती योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण की माताओं चिड़ीबाई एवं रूपाबाई, जो कि सगी बहने हैं, के द्वारा वादग्रस्त भूमि के बटवारा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 21–3–93 को आदेश पारित कर संपत्ति में हक एवं स्वत्व नहीं होने से निरस्त कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में जबकि अनावेदकगण की माताओं का ही वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व नहीं है, तो फिर अनावेदकगण का स्वत्व होने

का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा यह नहीं बतलाया गया है कि उन्हें सम्पत्ति किस प्रकार प्राप्त हुई है, क्योंकि तहसील न्यायालय द्वारा पारित बटवारा आदेश में अंश का निर्धारण नहीं हुआ है, और बटवारा आदेश के विरूद्ध आवेदक की निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष लंबित है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदकगण के विरूद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवेदक ने व्यवहार न्यायालय में वाद कमांक 80 अ/15 प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक न तो क्लेमेंट है, और न ही प्लेन्ट है, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः उचित है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 250 (1–बी) के अंतर्गत फार्मल आवेदन की आवश्यकता नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदकगण वादग्रस्त भूमि के भूमिस्वामी हैं, इस तथ्य को आवेदक भी मानता है, क्योंकि उनके द्वारा इसका कोई खण्डन अथवा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष उचित रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और इस प्रकरण में व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह निर्विवादित है कि प्रश्नाधीन भूमियां अनावेदकगण के स्वत्व, स्वामित्व की भूमियां हैं, और आवेदक का प्रश्नाधीन भूमियों पर कब्जा है । अतः अनावेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय में संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत कब्जा दिलाये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 06/अ–70/2013–14 दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है । पूर्व में आवेदक की ओर से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत इस आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमियों पर आवेदक का उसके पूर्वजों के समय से कब्जा चला आ रहा है, अतः संहिता की धारा 250 लागू नहीं होती है । इस संबंध में

तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 17–3–2015 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अतः आवेदक द्वारा पुनः व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदक तहसील न्यायालय के समक्ष प्रचलित प्रकरण को येन–केन–प्रकारेण लम्बित रखना चाहता है, क्योंकि जिन आधारों पर पूर्व में प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त हो चुका हो, उन्हीं आधारों पर पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनुचित कार्यवाही है । इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा जिन आधारों पर व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत प्रकरण समाप्त किए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उन आधारों का निराकरण साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता है कि वास्तव में प्रश्नाधीन भूमियों का भूमिस्वामी कौन है, और क्या संहिता की धारा 250 लागू होती है अथवा नहीं । अतः इसी निष्कर्ष के साथ अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार, बुरहानपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–9–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर